परिशिष्ट I

'योग्य और उचित' मानदंड

(परिपत्र विवि (पीसीबी) बीपीडी.परि सं.8/12.05.002/2019-20 दिनांक 31 दिसंबर, 2019 देखें)

अ. यूसीबी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक

i) व्यक्ति निम्न के साथ स्नातक होंगे

क. सीएआईआईबी / डीबीएफ़ / सहकारी कारोबार प्रबंधन में डिप्लोमा या समतुल्य योग्यता; या

ख. सनदी / लागत लेखाकार; या

ग. किसी भी विषय में स्नातकोत्तर

ii) नियुक्ति के समय व्यक्ति की आयु अधिमानतः 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं हो।

iii) व्यक्ति को बैंकिंग क्षेत्र में मध्यम / वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

आ. प्रबंधन मंडल के सदस्य

i) बीओएम के सभी सदस्यों को निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

क. लेखाशास्त्र

ख. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ग. बैंकिंग

घ. सहकारिता

च. अर्थशास्त्र

छ. वित्त

ज. विधि

झ. लघु उद्योग

ट. सूचना प्रौद्योगिकी

ठ. कोई अन्य विषय, जो रिज़र्व बैंक की राय में शहरी सहकारी बैंक के लिए उपयोगी हो

ii) कोई भी व्यक्ति जिसका तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उस बैंक के साथ व्यापारिक संबंध रहा हो, वह पात्र नहीं होगा। यूसीबी में जमा राशि रखने वाले व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक संबंध रखने वाले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

इ. यूसीबी के निदेशक मंडल सीईओ या बीओएम के सदस्य से उनकी नियुक्ति के समय परिशिष्ट II के अनुसार एक घोषणा-सह-वचनबद्धता प्राप्त करेंगे। घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के संबंध में बीओडी उचित सावधानी की प्रक्रिया करेगा।